

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 225 OF 2025**

**IN THE MATTER OF**

NEWS ITEM TITLED "WASHING CENTER PAR 1000 AVEDHI VAAHAN  
HAR MAHINE 30 CRORE LITRE PAANI KAR RAHE BARBAAD"  
APPEARING IN JAGARAN CITY NOIDA DATED 27.04.2025

**INDEX**

S.No.	Particular	Page No.
1.	REPLY BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 GROUND WATER DEPARTMENT, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 08.05.2025	1-4
2.	<b>ANNEXURE 1</b> Copy of Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulations) Act, 2019	5
3.	<b>ANNEXURE 2</b> Copy of the Notification No. 1320/62-1-2019-10 GW-2014, dated 13.11.2019.	6
4.	<b>ANNEXURE 3</b> Copy of the notification no. 58/76-3-2020/10 GW/2014, dated 21.01.2020	7-9
5.	<b>ANNEXURE 4</b> Copy of the Letter dated 25.02.2021	10-11
6.	<b>ANNEXURE 5 (Colly.)</b>	12-67

406

Copy of Notice Dated 03.09.2025

Through



Gigi C. George Advocate

Standing Counsel (UOI)

Ch. No. 457, Lawyers Block,

DHC, New Delhi

[Gigicgeorge.adv42@yahoo.in](mailto:Gigicgeorge.adv42@yahoo.in)

M-9810625315

Date : 13.09.2025  
Place : New Delhi

407

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 225 OF 2025

**IN THE MATTER OF**


“NEWS ITEM TITLED "WASHING CENTER PAR 1000 AVEDH VAAHAN HAR MAHINE 30 CRORE LITRE PAANI KAR RAHE BARBAAD" APPEARING IN JAGARAN CITY NOIDA DATED 27.04.2025”

**REPLY BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4  
GROUND WATER DEPARTMENT, UTTAR PRADESH IN  
COMPLIANCE OF ORDER DATED 08.05.2025**

I, VISHWAJEET SINGH, aged about 37 years working as NODAL OFFICER GROUND WATER DEPTT. do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That deponent is well conversant with the facts and circumstances of the case and duly authorized to swear and affirm this affidavit on behalf of the Respondent No. 4 i.e. Ground Water Department, Uttar Pradesh
2. That Instant Original Application no. 225 of 2025 registered *sue moto* on the basis of news item titled "washing center par 1000 Avedh Vaahan Har Mahine 30 crore Litre Paani Kar Rahe Barbaad" appearing in Jagaran city noida dated 27.04.2025, this Hon'ble Tribunal passed the order dated 08.05.2025 with the following observation: -


"2. The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh



*[Handwritten Signature]*

*Nagar: According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs).*

*However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage”*



- .....
3. That Hon'ble Tribunal vide its order dated 08.05.2025 impleaded the answering respondent as Respondent No. 4, issued notice, and directed to file reply by way of affidavit.
  4. That it is respectfully submitted that in order to protect, manage and control the ground water resources in the state, Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 has been implemented since 02 October 2019. Copy of Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulations) Act, 2019 is annexed herewith as **Annexure-1**
  5. That in exercise of the powers enumerated in Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019, Uttar Pradesh Ground water

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anshu".

Management and Regulatory Authority has been established by Minor Irrigation and Ground Water section – 1 vide its Notification no. 1320/62-1-2019-10 GW-2014 dated 13.11.2019. Copy of the Notification dated 13.11.2019 is annexed herewith as **Annexure-2**.

6. That in exercise of the power construed in Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019, the District Ground Water Management Council for each District of the state under the chairmanship of the District Magistrate in accordance with the provisions is constituted by the Namami Gange and Rural water Supply Section-3 vide its Notification No. 58/76-3-2020/10 GW/2014 Dated 21.01.2020. Copy of the notification dated 21.01.2020 is annexed herewith as **Annexure-3**

7. That for the effective and transparent implementation of works like registration, issuance/renewal of no objection certificate etc. for agricultural and domestic consumers, commercial industrial, infrastructural and collective ground water users as enumerated in the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act 2019 the web portal has been developed (**upgwdonline.in**) and the District-wise nodal officers have been nominated at the district level in all the 75 districts of Uttar Pradesh for the operation of the website.

8. That for smooth functioning of the Act-2019, orders have been issued to all the districts of the state for formation of task force in compliance of the said orders by letter No. 23/यू०पी०रा०भू०ज०प्र०वि०प्रा०, dated 25.02.2021 of Director, Ground Water Department / Member Secretary, State Ground Water Management and Regulatory Authority, Uttar Pradesh, for conducting on-site verification before disposal of applications related to registration of wells and No Objection Certificate (NOC) etc. through the developed web portal (**upgwdonline.in**). Copy of the Letter dated 25.02.2021 issued by the Director is annexed herewith as **Annexure 4**



*[Handwritten Signature]*

9. That in compliance with the order dated 08.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, the answering respondent has identified 55 car washing centers and, accordingly, issued show cause notices dated 03.09.2025, directing them to produce valid No Objection Certificates (NOC), if any, granted for extraction of ground water. Copy of the Show cause notice dated 03.09.2025 are annexed herewith as **Annexure 5 (Colly.)**.

10. That it is most respectfully submitted that no response has been received from the project proponent till date. Furthermore, in the absence of any response after the expiry of the stipulated notice period, further appropriate action shall be initiated against the project proponent in accordance with the applicable rules.

11. That the present Reply by way of affidavit may kindly be taken on record and into consideration, and the Hon'ble Tribunal may pass appropriate order(s), direction(s) as deemed fit and proper under the facts and circumstances of the present case.

12. That the Answering Respondent seeks leave to make additional submissions, if required, during the course of the proceedings as and when directed by this Hon'ble Tribunal.

  
DEPONENT


विश्वजीत सिंह  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद  
खण्ड-गौतमबुद्धनगर

Verification

Verified at New Delhi on 12 September 2025 that the contents of the above reply affidavit are derived from the official records and personal knowledge and are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing material has been concealed therefrom.

  
DEPONENT

विश्वजीत सिंह  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद  
खण्ड-गौतमबुद्धनगर

  
ANJANA SHUKLA  
Advocate Notary  
Distt. G.B. Nagar

12 SEP 2025  
Ser. No. 3357

क्रम-संख्या-186 (क)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस0एस0पी0/एल-

डब्लू/एन0पी0/91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 11 सितम्बर, 2019  
भाद्रपद 20, 1941 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन  
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1  
संख्या 1036/62-1-2019-10जी0डब्ल्यू-2014  
लखनऊ, 11 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

प0आ0-261

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल 2 अक्टूबर, 2019 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं, जिस दिनांक को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,  
अनीता सिंह,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1036/LXII-1-2019-10GW/2014, dated Lucknow September 11, 2019.

No. 1036/LXII-1-2019-10GW/2014  
Dated Lucknow, September 11, 2019

IN exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019) the Governor is pleased to appoint 2<sup>nd</sup> October, 2019 as the date on which said Act shall come into force.

By order,  
ANITA SINGH,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 270 राजपत्र-2019-(771)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा0 लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल-2019-(772)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

क्रम-संख्या-216(क)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 13 नवम्बर, 2019

कार्तिक 22, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1

संख्या 1320/62-1-2019-10 जीडब्लू-2014

लखनऊ, 13 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

प0आ0-344

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से राज्य में एक प्राधिकरण का गठन करती हैं जिसे 'उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन विनियामक प्राधिकरण' के रूप में जाना जायेगा।

आज्ञा से,  
अनीता सिंह,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1320/LXII-1-2019-10gw-2014, dated November 13, 2019:

No. 1320/LXII-1-2019-10gw-2014

Dated Lcknow, November 13, 2019

In exercise of the powers under section 7 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to establish an authority in the State to be known as the 'Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority' with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

By order,  
ANITA SINGH,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 379 राजपत्र-(हिन्दी)-2019-(998)-599 प्रतियां-(क०/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० लघु सिंचाई-2019-(999)-1,000 प्रतियां-(क०/टी०/ऑफसेट)।

क्रम-संख्या—19



रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 21 जनवरी, 2020

माघ 1, 1941 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3

संख्या 58/76-3-2020/10जीडब्लू/2014

लखनऊ, 21 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प० आ०-19

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण को उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों से समाविष्ट राज्य के प्रत्येक जिला हेतु जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् का गठन करने के लिये निदेश देती हैं।

आज्ञा से,  
अनुराग श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 58/76-3-2020/10gw/2014, Lucknow dated January 21, 2020 :

No. 58/76-3-2020/10gw/2014

Dated Lucknow, January 21, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to direct the State Ground Water Management and Regulatory Authority to constitute the District Ground Water Management Council for each district of the State consisting of the Chairperson and members in accordance with the provisions of the said section.

By order,  
ANURAG SRIVASTAVA,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-575-राजपत्र (हि०)-(1399)-2020-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-4 सा० भूगर्भ जल-(1400)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

## राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण,

(अधिसूचना संख्या 1320/62-1-2019-10 जी0डब्लू0/2014, दिनांक 13 नवम्बर, 2019 के द्वारा गठित)

संख्या / यूपीराभूजप्रविप्रा  
लखनऊ: दिनांक : 05 जून, 2020

—: कार्यालय ज्ञाप :-

अधिसूचना संख्या 58/76-3-2020/10जीडब्लू/2014, दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 06 में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में एतद्द्वारा "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1.	जिला मजिस्ट्रेट।	अध्यक्ष
2.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य में भूगर्भ जल प्रबन्धन के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले एक विषय विशेषज्ञ।	सदस्य
3.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट भूगर्भ जल के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक व्यक्ति।	सदस्य
4.	सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।	सदस्य
5.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।	सदस्य
6.	जिला कृषि अधिकारी।	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग।	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम।	सदस्य
9.	नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत (यथास्थिति)।	सदस्य
10.	मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण।	सदस्य
11.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवम् जल संसाधन विभाग।	सदस्य
12.	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।	सदस्य
13.	प्रभागीय वनाधिकारी।	सदस्य
14.	जिला उद्यान अधिकारी।	सदस्य
15.	जिला विकास अधिकारी।	सदस्य/सचिव

उक्त सदस्यों के अतिरिक्त नगर पालिका, भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति तथा खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति से एक-एक सदस्य परिषद् के आमंत्रित सदस्य के रूप में भी सम्मिलित किए जाएंगे। "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" के क्रम संख्या 02, एवम् 03 पर नामित सदस्यों की सेवा एवम् शर्तें, इत्यादि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली, 2020 के अध्याय-2 के अनुसार होगी।


(राजेन्द्र कुमार तिवारी)  
मुख्य सचिव/अध्यक्ष

पत्रांक: 01 / यूपीराभूजप्रविप्रा / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, 9वाँ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

  
(वी०के० उपाध्याय)

निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव


415

पत्रांक: / यूपीराभूजप्रविप्रा / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ प्रत्येक जनपद के सक्षम अधिकारी को जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् के सदस्य के रूप में पदेन नामित करें।

1. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

  
(वी०के० उपाध्याय)

निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव

प्रेषक,

Annexure 4

निदेशक,

भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव,

राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवम् नियामक प्राधिकरण, उ०प्र०,

९वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

संख्या: 23 /यूपीराभूजप्रविप्रा,

लखनऊ: दिनांक: फरवरी 25, 2021

विषय: उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार स्थलीय सत्यापन करने हेतु टास्क फोर्स के गठन एवं दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त अधिनियम के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आन-लाइन वेब पोर्टल ([upgwdonline.in](http://upgwdonline.in)) भी विकसित किया है, जिसके संचालन के लिए आपके जनपद में उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3, के द्वारा लघु सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उक्त वेब-पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों के नियमानुसार निस्तारण हेतु कतिपय शर्तों यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना, इफ्लुमेन्ट प्लान्ट (Effluent treatment plant) (उद्योग हेतु), फ्लोमीटर, बोर की साइज, पम्प का प्रकार एवम् क्षमता इत्यादि की आवश्यकतानुसार स्थलीय सत्यापन हेतु आपके जनपद में निम्नानुसार सदस्यों की समिति/टास्क फोर्स का गठन किया जाता है:-

1. नामित नोडल अधिकारी।
2. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग/भूगर्भ जल विभाग (यदि नोडल अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के नामित हैं तो भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। यदि नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग के नामित हैं तो लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे)।

3. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम।
4. उप आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।
6. सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी आवश्यकतानुसार।

सूचनीय है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति निर्गमन एवम् पंजीयन सेवाएं जनहित गारण्टी अधिनियम से अच्छादित हैं। अतएव आवेदन पत्रों के प्राप्त होने से निस्तारण तक की अवधि के समस्त कार्य 30 दिवस के अन्दर किया जाना अनिवार्य है।

अतः जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को निस्तारित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार टास्क फोर्स को निर्देशित करते हुए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(वी०के० उपाध्याय)

निदेशक भूगर्भ जल विभाग/  
सदस्य सचिव

राज्य जल प्रबन्धन और नियामक  
प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

संख्या: /यूपीराभूजप्रविप्रा/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रतिलिपि निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवम् नियामक प्राधिकरण, उ०प्र० को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अनुसचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त नोडल अधिकारी, वेब-पोर्टल।

(वी०के० उपाध्याय)

निदेशक भूगर्भ जल विभाग/  
सदस्य सचिव

राज्य जल प्रबन्धन और नियामक  
प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 16 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 29/09/2025

KONCEPT AUTO MOBILES,  
PVT. LTD., PLOT NO-A-54,  
Section-02, NOJDA,

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो याने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

419

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 17 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025

KONCEPT AUTO MOBILES PVT. LTD.

PLDT No. B-5,6,7,


Sector-60, Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्ट्रों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 18 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Koncept Auto Mobiles Pvt. Ltd.  
Plot No-A-25, sector - 64,  
Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
जिला अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 19 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Koncept Auto Mobiles Pvt. LTD.  
Plot No-A-31, Sector- 2,  
Noida

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwaijetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwaijetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

422

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 20 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Silver Arrow Auto Mobiles Pvt.Ltd.  
Plot No-D-7, Sector-8,  
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 21 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Koncept Auto Mobiles Pvt. Ltd.  
Plot No-C-11,12, Sector-59,  
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

424

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 22 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

A&A, Auto mobiles Pvt. Ltd.  
Plot No-F-477, Sector-63,  
Noida

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 23 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Vinas Auto Mobiles Pvt. Ltd.  
Plot No - A-18, Sector - 6,  
Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 24 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Pankash Auto mobiles  
Plot No-A-38, Sector-08  
Noida.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,असल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 25 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Deutsche Cars Pvt. Ltd.  
Plot No-H-8, Sector-63  
Noida.

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारार्थीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 26 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Spirited Auto Cars Ltd.  
Plot-No-D-11, Sector-8  
Noida

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
नाडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशायी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 27 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/04/2025

Gautam Budh Cars Pvt. Ltd.  
Plot No-B-127, Sector-5  
Noida.

--:नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिसूचित की जायेगी।

  
नेशनल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 28 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Sagar Motors  
Plot No-B.123, Sector-05  
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 29 /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Vipul Motors Pvt. Ltd.  
Plot. No - B-124, Sector - 5  
Noida

:-नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संचय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारधर्मी प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोलफ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 30 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

vipul motors  
J-10, Sector-63,  
Noida

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
नेडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 31 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Rohan Motors Ltd.  
Plot No-C-9, Sector-01,  
Noida.

--:नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्ट्रों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 32 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Uttam Toyota A Division of The  
Standard Type Foundry Pvt.Ltd.  
Noiela.

-:नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 33 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


KONCEPT AUTOMOBILES PVT. LTD.  
PLATNO - C-11, 12 SECTOR-59  
NOIDA

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 34 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 3/09/2025


**FAST TRACK AUTO CAR INDIA PVT LTD**  
**PLOT NO - A-31 - Sec - 63,**  
**NOIDA**

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरखेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरखेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरखेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



मोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

मोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 35 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


**RAHUL MOTORS**  
**PLOT NO-A-59,SECTOR-80**  
**PHASE-II NOIDA.**

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225 / 2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्लक लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:-36 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/01/2025


SHIVA MOTOCORP A UNIT  
OF NARMOLI APPARELS' PVT. LTD.  
NOIDA

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

439

कार्यालय  
अधिशायी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 57 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 21/09/25


NAKSHA ENTERPRISES  
PVT. LTD. (ACE HONDA)  
NOIDA.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



निष्ठा अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशायी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 38 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/04/2025


**ACTION AUTOMOTIVES  
PRIVATE LIMITED, PLOT No-H-5  
SECTOR-63, NOIDA.**

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

441

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:-39 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 23/09/2025


**CAPITAL AUTOMOTIVES  
PRIVATE LIMITED, PLOT No-79+FBV Block-D,  
Sector-63, NOIDA.**

--:नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टर्स पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्म जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 40 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


CAPITAL AUTO MOTIVES  
PRIVATE LIMITED, PLOT-NO-B-79/80,  
SECTOR-2, NOIDA

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्म जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्म जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्म दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्म जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्म जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्म जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्म जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्म जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्म जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्म जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

443

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 41 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025


CAPITAL AUTOMOTIVE  
PRIVATE LIMITED, PLOT NO-A-7,  
SECTOR-83, NOIDA.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 42 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025


**CAPITAL AUTOMOTIVES  
PRIVATE LIMITED, PLOT-NO-C-47,  
SECTOR-58, NOIDA.**

**-:नोटिस:-**

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025"वांशिंग सेन्ट्रों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद" के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



के.एस. अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 43 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/04/2025


**MOTOR CRAFT SALES,  
PRIVATE LIMITED. PLOT NO-15,  
SECTOR-140, NOIDA,**

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिग सेन्टर्स पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सम्बन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 44 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/11/2025


MOTOR CRAFT INDIA,  
PVT. LTD. PLOT NO-C-42,  
SECTOR-57, NOIDA.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोटल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

447

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 45 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/07/2025


**MOTOR-CRAFT, PVT. LTD.**  
**PLOT NO-F-8 & 9, SECTOR-8,**  
**NOIDA.**

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा झिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




गौडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 46 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/09/2025


**SAHU REFRIGERATION  
INDUSTRIES LIMITED,  
PLOT NO. H-162, SECTOR-63, NOIDA**

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के सञ्ज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 47 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03.09.2025


ALLIED MOTORS LIMITED  
PLOT No-W-9, SECTOR-11,  
NOIDA.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशायी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 48 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/09/2025


**PUNJAB MOTORS**  
**WORKS LCV. PLOT No.05, BLOCK-C;**  
**SECTOR-81, NOIDA.**

:-नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या नियेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोलफ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 49 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025


SHANTI AUTO SALES  
PVT.LTD. PLOT NO-B-27,  
SECTOR-81, NOIDA.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अनिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 50 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025


Shivraj Auto Care  
Pvt. Ltd, Plot No-D-021,  
Site-4, Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
जिला अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोलक लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 51 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 08/09/2025


Spirited Auto Car India  
Limited, Plot No-B-37,38,  
Site-4, Greater Noida.

--:नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निदेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
नाडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नाडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 52 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Motor Craft, Plot No-D-40,

Site -4, Greater

Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 53 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 03/09/2025

Koncept, Automobile  
Pvt. Ltd. Plot No-D-10,  
Site-4, Greater Noida.

--नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा झिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwaieetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwaieetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नाडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नाडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 51 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01/07/2025


Sagar Motors,  
Plot No.-C-4, Site-4,  
Near Pargi Chowk Grr. Noida.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोलफ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 55 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01/07/2025


Hyundai fortune, (Aspire Automobile),  
Plot No-D-74, site-4,  
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा झिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेक्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेक्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaieetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
गौतम अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,असल गोलफ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 56 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

NAL Kia Plot No-B-1,

Site-A, Greater


Noida.

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
मोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
मोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 57 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/04/2025


Shaurya Automobile (Hero),  
Plot No-E-93, Site-4,  
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।


उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा झिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 58 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01/07/2025

Fortune Hyundai (Aspire Automobile),  
Plot No-103, Ecotech -12,  
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नाडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नाडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

461

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 59 / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


~~Frontier Automobiles~~  
Aut. Ltd., Plot No.-E-95, Site-4,  
Greater Noida.

---नोटिस---

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

462

कार्यालय

अधिकाशासी अभियन्ता,

भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,

ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2

गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 60 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 03/09/2025

Sagar Motors, Plot No-29,

Ecotech-12,


Greater Noida.

-:नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

463

कायालय

अधिशायी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 61 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Rana Motars (Nexa),  
Plot No-93, Ecotech-12  
Greater Noida.

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwaieetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwaieetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

464

कार्यालय

अधिशायी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 62 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Motor Craft Sails Pvt. Ltd.

Plot No-93, Ecotech-12,


Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

465

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 63 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Vipul Motors Pvt. Ltd.  
Plot No-64, Ecotech-12,  
Greater Noida.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

466

अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 64 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


SkyLine Bajaj, Plot.No-E94,  
Site-4, Greater  
Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरखेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरखेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरखेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

467

अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 65 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/09/2025


Shree Ram Motors,  
Plot No.-E-86, Site-4,  
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

468

अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 66 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


My TVS Car Care  
Solution, Plot No, E-07,  
Site -4, Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण औ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

469

कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 67 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Sagar Motors, Plot No.-E-36,  
Site -4, Near Paru Chowk,  
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

470

कोयालय

अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्ल लिक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 68 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

RAJ ENTERPRISES, PLOT NO, 10-A,

UDYOG VIHAR,

Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwaieetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwaieetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाथ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

471

अधिशायी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 69 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Jaiswal Motans, Plot No, 31,  
Mahila Udyami Park-2,  
Ecotech-3, Greater Noida,

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

472

कार्यलय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 70 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


MS MOTORS, Plot No, -393,  
Udyog Kendra-1, Ecotech-3,  
Gazdhar Noida.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwaieetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwaieetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड  
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- 71 / NGT/0.A225/2025 दिनांक- 9/09/ 2025

विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-225/2025 News Item titled Noida dated 27-04-2025 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र सं०-622/सामान्य-85(NGT)/2025 के क्रम में जिसमें वाहन सर्विस व वाहन वाशिंग सेन्टर पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-225/2025 News Item titled Noida dated 27-04-2025 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही की सूचना चाही गयी थी, जिसके क्रम में ग्रेटर नोएडा में 21 कार वाशिंग सेन्टरों को चिन्हित करके नोटिस दिये गये हैं, (सूची व नोटिस छाया प्रति सलंगन) नोटिस अवधि समाप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

सलंगनक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(विश्वजीत सिंह )

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्

जनपद-गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि:-1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर

को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

2- मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर

को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्

जनपद-गौतमबुद्धनगर